बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

25 जुलाई 2019

[जल संसाधन - वित्त विभाग - राजस्व एवं भूमि सुधार - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

- 25

नलकूप चालू कबतक

*415 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखंड में 40 नलकूप वर्षों पूर्व गाड़े गए थे, जो आजतक भिन्न-भिन्न विभागों के आपसी खींचतान के वजह से चालू नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि एक बड़ी सरकारी राशि खर्च करने के बावजूद भी किसानों के खेतों में उक्त नलकूपों से एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार चालू सत्र में ही उन नलकूपों को चालू कराकर किसानों के खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहती है ?

दोषियों पर कार्रवाई

*416 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि स्नेहा कुमारी, 2013 बैच की महिला सिपाही हैं जो वर्तमान में सीवान के मुफस्सिल थाना में कार्यरत थी;

(ख) क्या यह सही है कि उसकी हत्या साजिश के तहत की गई है उसकी हत्या 1 जून 2019 को हुई है लेकिन पुलिस विभाग 3 जून की रात को उनके शव को उनकी घर नौवगढ़ी पहुँचाया है;

(ग) क्या यह सही है कि स्नेहा कुमारी के पिता विवेकानन्द मंडल की मौजूदगी के बावजूद पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले स्नेहा का अंतिम दर्शन नहीं कराया, क्या यह बड़ी गंभीर बात नहीं है, बल्कि पुलिस ने उनके पिता को बिना दर्शन के घर पहुँचा दिया, इससे पुलिस विभाग के भूमिका पर संदेह नहीं होता है;

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस उनके शव को रात में ही जलाने के लिए काफी दबाव दे रही थी;

(ड़) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस घटना का जांच करना चाहती है, तथा दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

त्वरित जांच की कार्रवाई

***417 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अवर निबंधन कार्यालय में वर्ष 2013 एवं 2015 से कार्यरत उ.व.लि. श्री अरुण कुमार महाराज, लेखापाल सह प्रधान लिपिक मो. कलीमुल्लाह खां एवं कई अन्य कर्मी वर्षों से पदस्थापित हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय मंत्री के कार्यालय पत्रांक- 643 दिनांक- 15.06.19 एवं मुख्य चुनाव आयुक्त, पटना के कार्यालय पत्रांक- 71 दिनांक- 16.05.19 द्वारा श्री इमामजफर फुलवारी, पटना ने खंड 'क' में अंकित कर्मी के द्वारा किए गए भयादोहन एवं भ्रष्टाचार की जांच एवं अन्यत्र स्थानांतरण हेतु परिवाद पत्र दिया था ;

(ग) क्या यह सही है कि सहायक निबंधक महानिरीक्षक, पटना के कार्यालय पत्रांक-2056 अनु. दिनांक-07.06.19 द्वारा परिवादकर्ता के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र पर खंड 'क' में वर्णित कर्मी से एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई है ;

(घ) क्या यह सही है कि सहायक निबंधक महानिरीक्षक, पटना द्वारा कार्मिक विभाग के आदेश का उल्लंघन कर ऐसे भ्रष्ट एवं भयादोहन करने वाले कर्मी को उक्त कार्यालय में ही कार्यरत रखने का क्या औचित्य है ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित कर्मी पर लगे आरोपों पर त्वरित जांच की कार्रवाई करते हुए उनका अन्यत्र स्थानांतरण करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

पलायन रोकने हेतु उपाय

***418 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के हजारों श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने के लिए प्रति वर्ष जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में खेती-बाड़ी तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें सुदूर राज्यों में जाना पड़ रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि राज्य से पलायन रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

बैंक शाखा कब तक

***419 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के कटेया प्रखण्ड के गौरा बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है जिस कारण यहां के आमलोगों को बैंक आन-जाने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे काफी परेशानी होती है साथ ही ग्राहकों को असुरक्षा महसूस होती है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गौरा बाजार में एक बैंक शाखा खुलवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवश्यक कार्रवाई कब तक

*420 **श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखंड एवं गौड़ा बौराम प्रखंड के बीच एक बहुत बड़ा चौर दरियार चौर है;

(ख) क्या यह सही है कि बिरौल प्रखंड के ग्राम-बिरौल-गयारी एवं गौड़ा बौराम प्रखंड के नदई, कन्हई इत्यादि के बीच इस चौर में सालों भर पानी लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि इस चौर में नहर बन जाने से किसानों को कृषि कार्य में लाभ मिलेगा;

(घ) क्या यह सही है कि इस चौर में नहर बनवाने हेतु कई बार राज्य सरकार को पत्र भी लिखा गया है किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया है;

(ड.) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त चौर में नहर बनवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

निबंधन कार्यालय साफ-सुथरा

*421 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजस्व वसूली में निबंधन कार्यालय (Registry Office)राज्य में दूसरे स्थान पर है ;

(ख) क्या यह सही है कि निबंधन कार्यालय में हर समय अत्यधिक भीड़ रहती है ;

(ग) क्या यह सही है कि निबंधन कार्यालय में वसीकानवीस, विक्रेता और क्रेता के बैठने, लिखने-पढ़ने, कागज समझने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, इसी कारण भू-माफियाओं द्वारा जल्दी-जल्दी में लोगों से हस्ताक्षर करवाकर जालसाजी की जाती है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में स्थायी, समुचित और समयानुकूल बैठने, पीने का पानी RO, और साफ-सुथरी जनसुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी ?

पदाधिकारियों के विरूद्ध् कार्रवाई

***422 श्री संतोष कुमार सुमन (विधान सभा):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति को गैर अनुसूचित जाति द्वारा अत्याचार करने पर पीडि़त परिवारों को मुआवजा देने की राज्य सरकार की योजना है ;

(ख) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया थाना कांड सं.-25/2017 दिनांक-02.05.2017 में अनुसूचित जाति के स्व. नन्दु भुईया के हत्या हुई है जिसमें जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के टाल-मटोल रवैया के कारण उनके आश्रित को आजतक उक्त अधिनियम के तहत पूरा मुआवजा नहीं मिल सका है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीडि़त परिवार को उक्त अधिनियम के तहत यथाशीघ्र पूर्ण मुआवजा देना चाहती है तथा देरी के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अभियंता पर कार्रवाई

***423 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

योजना एवं विकास :-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मैंने अपने फंड से मुंगेर जिले में 2018-19 की राशि एक करोड़ भेजी थी बावजूद इसके अभी तक एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई ;

(ख) क्या यह सही है कि मुंगेर जिले में 2018-2019 की योजना सूची भेज देने के बाद भी कार्यपालक अभियंता के द्वारा अभी तक एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई, जिसके कारण मुझे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश झेलना पड़ रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रजिस्ट्रेशन परमिट

***424 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

परिवहन :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में सी.एन.जी. रजिस्ट्रेशन और परमिट जारी होने में डेढ़ माह तक का विलंब हो रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि इस असुविधा को दूर करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में उठाये गये प्रयासों की जानकारी देगी ?

सिंचाई की सुविधा

***425 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के परसामहिन, जहदी, मुशहरनिया, पकरिया, इनरवा, लक्ष्मीपुर, कोहवरवा, वेताही, मधेसरा, जमुआहा, भुतही, परसाटोला, सहोरवा, राजवारा तथा परिहार प्रखंड के लपटाहा, परवाहा, महादेवपट्टी, नुनाही, मसहा, धनहा, श्रीरामपुरटोला, पकरिया, महुआवा, नोंचा, कनवां, वथुआरा, जगदर एवं वेतहा गांव के राजकीय नलकूप पिछले दस वर्षों से यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण बंद हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि इन नलकूपों के बन्द होने से खेतों में पटवन नहीं हो रहा है जिसके चलते किसानों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्थित राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराकर सिंचाई की सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

बांध का निर्माण

***426 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी के भिट्ठा से मधुबनी जिला के त्रिमुहान घाट तक रातो नदी बहती है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी पर बांध नहीं रहने के कारण प्रतिवर्ष वर्षा के समय लाखों लोग प्रभावित होते हैं तथा जान-माल का नुकसान होता है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नदी पर बांध बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार से हो गई है और भिट्ठा से निशा रोड तक बांध निर्माण का टेंडर भी कराया जा चुका है, लेकिन अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ;

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त नदी पर निशा रोड से त्रिमुहान घाट तक बांध निर्माण का अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, जिससे पुनः वर्षा के कारण आमजन प्रभावित होंगे ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नदी पर निशा रोड से त्रिमुहान घाट तक बांध निर्माण का टेंडर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल स्त्रोत विकसित करना

***427 श्री सोने लाल मेहता (विधान सभा):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि खगडि़या जिले के मानसी प्रखंडान्तर्गत 'मंदरा धार' और खगडि़या प्रखंड के मारड़ में ' मालती धार' सूख गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सूखे की चपेट में आगे बढ़ रहा है, जिससे जल-स्त्रोत का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है ;

(ग) क्या यह सही है कि 'जल संचयन' की दिशा में सरकार गंभीर है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 'मंदरा धार' एवं 'मालती-धार' की उड़ाही कर, जल स्त्रोत विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

निष्पक्ष जांच

***428 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत भोरे थाना में दिनांक-13.06.2019 को श्री हरिनारायण सिंह के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसका कांड संख्या-205/2019 दिनांक- 13.06.2019 अंकित है ;

(ख) क्या यह सही है कि श्री हरिनारायण सिंह के द्वारा दर्ज नामजद प्राथमिकी के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और मुख्य नामजद अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और कुछ निर्दोष लोगों का भी नाम प्राथमिकी में डाल दिया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोरे थाना कांड संख्या- 205/2019 में दर्ज मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है और इसमें व्यक्तिगत द्वेष के कारण निर्दोष लोगों के संबंध में निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें आरोप से मुक्त करना चाहती है ?

फ्लैटों की रजिस्ट्री

***429 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक संख्या-एस.ओ.सं.-IVएम.-1-34/2017-2969 दिनांक- 30.08.2018 के द्वारा 'बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017' के प्रभावी होने के बाद 'रेरा' में गैर निबंधित फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि 'रेरा' द्वारा RERA-GEN.DYNO-436(2018)/825 दिनांक-24.12.2018 के द्वारा 01 मई, 2017 के पूर्व निर्मित अपार्टमेंट के फ्लैटों को 'रेरा'में रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि 01 मई, 2017 के पूर्व निर्मित फ्लैटों की पुनः खरीद / बिक्री हो रही है, परन्तु जो फ्लैटधारी किसी कारण से अपना रजिस्ट्री नहीं करा सके थे उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है जिससे सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ ही फ्लैट मालिकों को भी अनावश्यक परेशानी हो रही है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 'रेरा' के पत्रांक- 825 दिनांक- 28.12.2018 के आलोक में 01 मई, 2017 के पूर्व निर्मित फ्लैटों का रजिस्ट्री शुरू करायेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारी का स्थानांतरण

***430 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के प्रखंड गौनाहा में श्रीमती राखी कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण, बेतिया ने श्रीमती राखी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा को बाढ़ आपदा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन जैसे राजकीय कार्यक्रमों में सहयोग नहीं करने तथा अनधिकृत रूप से बराबर मुख्यालय से गायब रहने संबंधी कर्तव्यहीनता का दोषी पाया है, स्वयं जिला पदाधिकारी ने अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार को श्रीमती कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने हेतु एक प्रतिवेदन के साथ प्रपत्र 'क' गठित कर भेजा है ,

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती राखी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा का स्थानांतरण कर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल का निर्माण

***431 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शाखा नहर के 175 आर.डी. एवं 176 आर.डी. के बीच मथुरापुर तथा खुर्द लौवा के सामने वर्ष 2018 में पुल बनवाने हेतु कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, प्रमण्डल, छपरा द्वारा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थान पर पुल बनवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कब तक

***432 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में गृह विभाग के द्वारा ज्ञापांक- 6618 दिनांक- 24.06.19 निर्गत किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि गृह विभाग के ज्ञापांक-6618, दिनांक- 24.06.2019 के द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, बि.प्र.से. के पदाधिकारी को ही दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में वर्णित पदाधिकारियों के अलावा अन्य विभाग के दूसरे संवर्ग के पदाधिकारियों को भी दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गृह विभाग के द्वारा निर्गत ज्ञापांक- 6618, दिनांक- 24.06.2019 के अनुसार ही दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

नियमानुसार कारवाई

***433 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क)क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला केऔराई प्रखंड के बेनीपुर में बागमती नदी की नई सेंट्रल चैनल कॉफर बांध क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ ही दिन पूर्व हुए इसके निर्माण में 27 करोड़ रुपए खर्च हुए जो पानी में बह गए;

(ग)क्या यह सही है कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार में विभाग के कार्यपालक अभियंता, मुख्यअभियंता,एस.डी.ओ.जे.ई. की मिलीभगत है लेकिन विभाग द्वारा अब तक किसी पर एफ.आई.आर.दर्ज नहीं किया गया है;

(घ)यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 27 करोड़ रुपया वसूली करने एवं दोषी अधिकारियों एवं संवेदक पर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहती है,यदि हां तो कब तक?

घेराबंदी की व्यवस्था

***434 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

गृह

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि पूरे बिहार राज्य में जिस तरह कब्रिस्तान की घेराबन्दी होती है, ठीक उसी तर्ज पर मंदिर, श्मशान, गुरुद्वारा, गौशाला आदि की घेराबंदी की व्यवस्था सरकार कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

रोगग्रस्त पेड़ों का बचाव

***435 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि बहुत से पेड़ बड़े होने के दौरान रोग ग्रस्त होकर सूख जाते हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों तथा आमलोगों के बीच कार्यशाला का आयोजन कर जागरूक करने या विभागीय स्तर पर कोई योजना बनाकर रोग ग्रस्त पेड़ों को सूखने से बचाने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2017 में बनाई गई वर्णित नियमावली में कंडिका-10 को विलोपित करने एवं भोजशाला लिपिकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सहायता राशि

***436 श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड में 2008 से 2017 के बीच लगभग 35 हजार निर्माण मजदूरों का निबंधन कराया गया था,

(ख) क्या यह सही है कि जून, 2017 से 22.11.2018 तक अॉनलाइन निबंधित निर्माण मजदूरों के खातों में 3000/- (तीन हजार) रूपये चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है तथा जून, 2017 से पूर्व के 35 हजार निबंधित मजदूरों को कुछ भी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है जबकि दूसरे जिलों में प्राप्त हो रही है,

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2008 से जून, 2017 तक निबंधित निर्माण मजदूरों को ऑनलाइन कराकर चिकित्सा सहायता प्रदान करना चाहती ?

प्रोन्नति देने का विचार

***437 श्री हीरा प्रसाद बिन्द (विधान सभा):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना सचिवालय का अंग है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के तहत मुफसिल सरकारी विभागों के लिपिकों के लिए लेखा परीक्षा लेने की बाध्यता है तथा सचिवालय संलग्न कर्मियों को इस परीक्षा से मुक्त रखा गया है लेकिन सचिवालय भोजशाला के लिपिकों को किस नियम के तहत सचिवालय भोजशाला की नियमावली की कंडिका 10 में वर्णित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है ;

(ग) क्या यह सही है भोजशाला के लिपिकों की जबरन लेखा परीक्षा लेने के लिए राजस्व पर्षद को विवश किया जा रहा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2017 में बनाई गई वर्णित नियमावली में कंडिका- 10 को विलोपित करने एवं भोजशाला लिपिकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जे.पी. पेंशन योजना का लाभ

***438 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता श्री यदु यादव, ग्राम- कुमरौली, थाना- घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा वर्ष 1974 में जे.पी. आंदोलन के मिसा के तहत जेल में बंद थे तथा पेंशन हेतु आवेदन दिये हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि गृह विशेष ने श्री यादव के पिता के वास्तविक नाम के संबंध में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अपने पत्रांक स.एन./जे.पी.को.प. 12/2019 गृ.वि. 248 दिनांक- 27.02.19 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा लिया था ;

(ग) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा ने अपने पत्रांक- 912/ सा. दिनांक- 01.06.19 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता यदु यादव एवं यदु प्रसाद यादव दोनों एक ही व्यक्ति हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव को जे.पी. पेंशन योजना का लाभ शीघ्र देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

मॉब लींचिंग पर रोक

***439 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि 03 जुलाई, 2019 को बिहार के वैशाली जिला में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी है ;

(ख) क्या यह सही है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश के अन्य राज्यों में भी तेजी से हो रही हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम या कानून बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?